न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ, जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी : श्रीमान रजत यादव (आई.ए.एस.)

राजस्व वाद सं0 135/2020

1. शब्बीर मोहम्मद पुत्र स्व.श्री नाथू खा जाति मुसलमान आयु 58 वर्ष निवासी माजवियो का मौहल्ला, सरवाड़ी गेट, पुराना शहर, किशनगढ़ (अजमेर)

वादी

बनाम

1. श्रीमती रजिया बेगम पत्नी स्व. श्री शफी मोहम्मद पुत्र स्व. श्री नाथू खाँ जाति मुसलमान उम्र बालिग निवासी माजवियो का मौहल्ला, सरवाड़ी गेट, पुराना शहर, किशनगढ़ (अजमेर)
2. जमीला बानो पुत्री स्व. श्री शफी मोहम्मद पुत्र स्व. श्री नाथू खाँ जाति मुसलमान उम्र बालिग निवासी माजवियो का मौहल्ला सरवाड़ी गेट, पुराना शहर, किशनगढ़ (अजमेर)
3. श्रीमती अनीसा पत्नी स्व.श्री रसीद मोहम्मद पुत्र स्व. श्री शफी मोहम्मद जाति मुसलमान आयु बालिग निवासी माजवियो का मौहल्ला, सरवाड़ी गेट, पुराना शहर, किशनगढ़ (अजमेर)
4. रेशमा पुत्री स्व.श्री रसीद मोहम्मद पुत्र स्व. श्री शफी मोहम्मद जाति मुसलमान आयु बालिग निवासी माजवियो का मौहल्ला, सरवाड़ी गेट, पुराना शहर,किशनगढ़ (अजमेर)
5. शमशाद पुत्री स्व. श्री रसीद मोहम्मद पुत्र स्व. श्री शफी मोहम्मद जाति मुसलमान आयु बालिग निवासी माजवियो का मौहल्ला, सरवाड़ी गेट, पुराना शहर, किशनगढ़ (अजमेर)
6. रसीदा पुत्री स्व. श्री शफी मोहम्मद आयु बालिग निवासी माजवियो का मौहल्ला, सरवाड़ी गेट, पुराना शहर, किशनगढ़ (अजमेर)
7. रफीक मोहम्मद पुत्र स्व. श्री शफी मोहम्मद आयु बालिग निवासी माजवियो का मौहल्ला, सरवाड़ी गेट, पुराना शहर, किशनगढ़ (अजमेर)
8. महमूदा पुत्री स्व.श्री शफी मोहम्मद आयु बालिग निवासी माजवियो का मौहल्ला, सरवाड़ी गेट, पुराना शहर, किशनगढ़ (अजमेर)
9. जायदा पुत्री स्व.श्री शफी मोहम्मद आयु बालिग निवासी माजवियो का मौहल्ला, सरवाड़ी गेट, पुराना शहर, किशनगढ़ (अजमेर)
10. मोहम्मद फिरोज पुत्र स्व. श्री शफी मोहम्मद आयु बालिग निवासी माजवियो का मौहल्ला, सरवाड़ी गेट, पुराना शहर, किशनगढ़ (अजमेर)
11. सलमा पुत्री स्व.श्री शफी मोहम्मद आयु बालिग निवासी माजवियो का मौहल्ला, सरवाड़ी गेट, पुराना शहर, किशनगढ़ (अजमेर)
12. शमशेर खाँ पुत्र स्व. श्री नाथू खाँ जाति मुसलमान आयु बालिग निवासी माजवियो का मौहल्ला, सरवाड़ी गेट, पुराना शहर, किशनगढ़ (अजमेर)
13. तहसीलदार किशनगढ़

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वकील वादी :– श्री गोविन्द दास पुरोहित

दिनांक 17.12.2025

संक्षेप में वाद का सार इस प्रकार है कि वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री गोविन्ददास पुराहित ने वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राज.का.अधि. 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 12 एक ही परिवार के सदस्य है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 12 के पिता/दादा/बड़े दादा/श्वसुर/बड़ा श्वसुर श्री नाथू खाँ के कब्जे काश्त खातेदारी की निम्न खसरा नम्बर की पैतृक वादग्रस्त भूमि ग्राम किशनगढ़ में स्थित है जिसके सेटलमेन्ट ख.नं. 2448,2449, 2450 के एकीकरण ख.नं. 1158 के वर्तमान ख.नं.1656, 1657 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 12 के पिता/दादा/बड़े दादा/श्वसुर/बड़ा श्वसुर श्री नाथू खा का दिनांक 18.5.1998 को स्वर्गवास हो गया। वादी व प्रतिवादी संख्या 12 के पिता तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 11 के पति/पिता/श्वसुर/बड़ा श्वसुर श्री शफी मोहम्मद के पिता श्री नाथू खा के निधन के बाद वादग्रस्त वर्तमान खसरा संख्या 1656 व 1657 की 11 बीघा 10 बिस्वा भूमि का विरासत नामान्तकरण संख्या 392 दिनांक 31.8.98 उसके विधिक वारिसान (पुत्र) शफी मोहम्मद, शमशेर खा व शब्बीर मोहम्मद के पक्ष में स्वीकृत किया जाना चाहिए। प्रतिवादी संख्या 1 से 11 के

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

ति/पिता/श्वसुर /दादा स्व.श्री शफी मोहम्मद व प्रतिवादी संख्या 12 ने पटवार हल्का किशनगढ़ से मिलकर गोपनीय रूप से श्री नाथू खाँ के देहावसान के बाद वादग्रस्त खसरा नम्बर 1656 व 1657 की भूमि का विरासत नामान्तकरण संख्या 392 दिनांक 31.8.98 अपने पक्ष में 1/2–1/2 हिस्से के रूप में स्वीकृत करा लिया जबकि वादग्रस्त खसरा नम्बर 1656 व 1657 में वादी का भी अपने पिता श्री नाथू खॉ के देहावसान के बाद विधिक हक व अधिकार सृजित हो जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 से 11 के पति/पिता/श्वसुर /दादा स्व.श्री शफी मोहम्मद व प्रतिवादी संख्या 12 के पक्ष में स्वीकृत विरासत नामान्तकरण संख्या 392 दिनांक 31.8.98 वादी के विरूद्ध शून्य व प्रभावहीन है और वादी उक्त नामान्तकरण को शून्य व प्रभावहीन घोषित करवाने का कानूनन् अधिकारी है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 12 के पिता/दादा/बड़े दादा/श्वसुर /बड़े श्वसुर श्री नाथू खा के निधन के बाद वादी का वादग्रस्त खसरा नम्बर 1656 व 1657 की भूमि के 1/3 हिस्से पर कब्जा काश्त बदस्तूर निरन्तर चला आ रहा है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 11 व 12 का वादग्रस्त खसरा नम्बर 1656 व 1657 की भूमि में बराबर–बराबर 1/3 1/3 हिस्से पर संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। वादग्रस्त भूमि का न्यायालय द्वारा विधि अनुसार विभाजन नही हुआ है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 12 परस्पर सहमति से 1/3 1/3 हिस्सा भूमि पर काबिज काश्त है। वादी को अपने पिता श्री नाथू खा के देहावसान के बाद वादग्रस्त खसरा नम्बर 1656 व 1657 की भूमि में 1/3 हिस्से पर हक व अधिकार कानूनन सृजित हो गया है। वादी को वादग्रस्त खसरा नम्बर 1656 व 1657 की 1/3 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 12 के संयुक्त कब्जे काश्त की वादग्रस्त खसरा नम्बर 1656 व 1657 की भूमि के काश्त बाबत वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 12 के मध्य प्रतिवर्ष खरीफ की फसल काश्त करने पर विवाद होता रहता है। वादी अपने 1/3 हिस्से की भूमि पर दिनांक 10.6.2020 को ट्रेक्टर ले जाकर वादग्रस्त भूमि पर काश्त करना प्रारम्भ किया तो प्रतिवादी संख्या 1, 7, 10 व 12 ने व्यवधान पैदा कर दिया और वादी के हक व अधिकार को अस्वीकार कर दिया। वादी को स्वयं के 1/3 हिस्सा भूमि को काश्त करने का अधिकार है जिसमें बाधा कारित करने का प्रतिवादी संख्या 1 से 12 को अधिकार नही है। प्रतिवादी संख्या 1 से 12 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि वे वादी को वादग्रस्त खसरा नम्बर 1656 व 1657 की 1/3 हिस्सा भूमि के कब्जे काश्त में बाधा कारित नही करे। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 12 के मध्य कब्जे काश्त के विवाद के निस्तारण हेतु वादग्रस्त खसरा नम्बर 1656 व 1657 का कब्जे काश्त के आधार पर विभाजन किया जाना आवश्यक है तथा वादी के 1/3 हिस्सा भूमि का पृथक से खसरा नम्बर, खाता नम्बर व लगान कायम किया जाना आवश्यक है। प्रतिवादी संख्या 13 भूमिधारक (Land Holder) है इस कारण विभाजन के बाद में उन्हे आवश्यक पक्षकार के रूप में संयोजित किया है, प्रतिवादी संख्या 1, 7, 10 व 12 ने वादी को दिनांक 10.6.2020 को उसके 1/3 हिस्से की भूमि को काश्त करने में व्यवधान पैदा करने व वादी के वादग्रस्त भूमि में निहित हक व अधिकार को अस्वीकार करने के कारण प्रस्तुत वाद पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रस्तुत वाद में वाद कारण दिनांक 10.6.2020 को जब प्रतिवादी संख्या 1, 7, 10 व 12 ने वादी को उसके 1/3 हिस्सा भूमि काश्त करने में बाधा कारित की तथा वादी के हक व अधिकार को अस्वीकार किया तब माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न हुआ उसके बाद दिन प्रतिदिन पैदा हो रहा है। वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी को ग्राम किशनगढ़ के वादग्रस्त खसरा नम्बर 1656 व 1657 की 1/3 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे इस प्रभाव की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित की जावे। वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम किशनगढ़ के वादग्रस्त खसरा नम्बर 1656 व 1657 की 11 बीघा 10 बिस्वा भूमि का कब्जे काश्त के आधार पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 12 के मध्य बराबर–बराबर 1/3 1/3 हिस्से का विधि अनुसार विभाजन किया जाकर वादी के 1/3 हिस्से का पृथक से खसरा नम्बर, खाता संख्या व लगान कायम किया जावे इस प्रभाव की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित की जावे। वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 12 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादी को उसके 1/3 हिस्सा भूमि के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की बाधा कारित नही करे इस प्रभाव की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित की जावे। कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर नामान्तकरण संख्या 392 दिनांक 31.8.1998 को शून्य व प्रभावहीन घोषित किया जावे।

वादी का वाद दिनांक 15.07.2020 को दर्ज किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी करवाई गई।

दिनांक 07.09.2021 को वकील प्रतिवादी श्री जहीर खान द्वारा प्रतिवादीगण की ओर से अन्डरटेंकिग ली गई किन्तु दिनांक 21.10.2024 तक भी जवाब पेश नहीं करने के कारण दिनांक 21.10.2024 को प्रतिवादी संख्या 01 से 12 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई। दिनांक 02.04.2025 को वादी की साक्ष्य ली गई तथा प्रस्तुत दस्तावेजात पर प्रदर्श अंकन करवाया गया जो इस प्रकार है:– प्रदर्श 01 जमाबन्दी सम्वत 2010 से 2019 , प्रदर्श 02 जमाबन्दी एकीकरण , प्रदर्श 03 मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 04 :– मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श 05:– नामान्तरण संख्या 392 दिनांक 31.08.1998, प्रदर्श 06

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

जमाबन्दी सम्वत 2046–2049, प्रदर्श 07:– वर्तमान जमाबन्दी खसरा संख्या 1656, 1657, प्रदर्श 08ए :– आधार कार्ड की प्रति।

दिनांक 17.12.2025 को हमारे द्वारा वकील वादी की बहस सुनी गई एवं वाद का प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार विवेचन किया गया। वादी द्वारा हस्तगत वाद अपने तथाकथित पिता नाथू खां की भूमि में विरासत के अनुसार हिस्से की उद्घोषणा हेतु पेश किया गया है। वाद में प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 05:– नामान्तरण संख्या 392 दिनांक 31.08.1998 में कॉलम संख्या 07 में शफी मो. , शमशेर खां पिता नाथू खां कौम मुसलमान का अंकन है एवं कालम संख्या 09 में शफी मो. के विधिक वारिसानों तथा शमशेर खां का नाम व हिस्सा दर्ज है, उक्त विरासत नामान्तरण मालियों की बाडी कैम्प में मजमे आम में वार्ड पंच ,सरपंच व तहसीलदार की उपस्थिती में मजमे आम में खोला गया है, जिसमें स्वयं वादी के हस्ताक्षर अंकित है। जिससे उक्त नामान्तरण के मिथ्या होना नगण्य है। साथ ही वाद में प्रस्तुत साक्ष्य वादी एवं वाद के दस्तावेजात के आधार पर वादीगण अपने वाद को सिद्ध करने में असफल रहें है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88,53 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। खारिज वाद डिक्री पर्चा पृथक से तैयार किया जावे।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 17.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़,अजमेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र संख्या 135/2020 उनवान शब्बीर बनाम रजिया
17/12/25	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उप०/ वादी वकील की मूल वाद पर बहस सुनी गयी बहस के मनन तथा पत्रावली एवं संलग्न साक्ष्य के अवलोकन के उपरान्त वादी के वाद को वादी सिद्ध नहीं कर पाने के कारण खारिज किया जाता है। निर्णय आदेश पृथक से टंकित कर पत्रावली में शामिल किया गया पत्रावली बाद शुमार होकर नस्ती कक्ष हो [signature] उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़